विवरण 7-ग

पण्य सांख्यिकी

अनुदेश

1. यह विवरण पैराग्राफ 9 में निर्धारित स्वरूप में बने कार्डों सहित इतना समय रहते भेजा जाय कि सम्बन्धित महीना समाप्त होने के बाद पैंतालीसवें दिन या उससे पहले रेलवे बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाय ।

2. यह विवरण क्रमशः बड़ी, मीटर और छोटी लाइनों के सम्बन्ध में स्वक्षेत्रीय रेलवे की संगणक रिपोर्ट 4, 5, 6 और अन्य रेलों से प्राप्त संगणक रेलवे रिपोर्ट 1, 2, 3 इकठ्ठी करके संकलित किया जाता है । रिपोर्ट 1, 2, 3 अगले महीने के अन्त तक अन्य क्षेत्रीय रेलों को पहुंच जानी चाहिए ।

2.1. मासिक और संचयी डेटा के लिए अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

2.2. पंच किये हुए कार्ड केवल मासिक डेटा के लिए भेजे जाने चाहिए, सिवाय जून, सितम्बर और दिसम्बर महीनों के, जिनके संबंध में संचयी डेटा के पंच किये हुए कार्ड भी भेजने होते हैं ।

3. संकलन एक प्रभाजित आधार पर होता है, जिसका स्रोत प्रलेख बीजक की वह प्रतिलिपि होगी जो यातायात की बुकिंग करने वाले स्टेशनों से प्रत्येक रेलवे की यातायात लेखा शाखा को भेजी जाती है । संगणक रिपोर्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का संकलन ब्योरेवार पण्यों के आधार पर किया जाता है , जो पण्य-कूट-सूची में शामिल हैं, लेकिन विवरण 7-ग के प्रयोजनार्थ उन्हें अनुबन्ध 'क' में दिखाये गये प्रधान पण्य समूहों में संक्षिप्त कर लेना चाहिए । ब्योरेवार और प्रधान पण्य समूहों के बीच अन्विति भी अनुबन्ध 'क' में दी गयी है ।

4. इस विवरण में राजस्व और गैर-राजस्व यातायात का ब्यौरा दिया जायेगा । जहां कहीं गैर-राजस्व यातायात, जैसे कि आर० एम० सी०, संगणीकृत न किया गया हो वहां डेटा हाथ से संकलित किया जायेगा ।

5. प्रधान पण्यों/पण्य समूहों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना दी जायेगी—

(*i*) **प्रारंभिक टन संख्या**—इसमें प्रत्येक आमान पर प्रारम्भ होने वाले सभी यातायात के टन शामिल किये जायेंगे, चाहे वह यातायात उसी आमान पर अथवा स्वक्षेत्रीय लाइन के किसी अन्य आमान पर समाप्त हो और चाहे अन्य रेलवे पर ।

(*ii*) **यानान्तरित टन संख्या**—इसमें किसी आमान पर भिन्न आमान से प्राप्त टन भार शामिल किया जायेगा, चाहे वह उसी आमान पर, जिसके कि आंकड़े दिये जा रहे हैं, समाप्त हो अथवा उससे पार चला जाय ।

(*iii*) **समापक टन संख्या**—इसमें सम्बन्धित आमान पर समाप्त होने वाले सभी यातायात का टन भार शामिल किया जायेगा चाहे वह यातायात स्वक्षेत्रीय लाइन पर प्रारम्भ हुआ हो अथवा अन्य रेलों पर ।

(*iv*) **पारगामी यातायात की टन संख्या**—इसमें ऐसे सभी माल यातायात की टन संख्या शामिल की जायेगी जो न तो स्वक्षेत्रीय लाइन पर प्रारम्भ हो और न समाप्त हो, बल्कि उससे होकर गुजर जाये । जिस आमान की विवरणी तैयार की जा रही है उससे भिन्न आमान (स्वक्षेत्रीय लाइन का) पर प्रारम्भ होने वाले यातायात को अन्य रेलवे से आने वाला यातायात माना जायेगा ।

Statement 7-C

Commodity Statistics

Instructions

1. This statement along with the punched cards in the format prescribed in para 9 should be despatched so as to reach the Railway Board's office on or before 45 days after the close of the month to which it relates.

2. This statement is compiled by collecting computer reports 4, 5, 6 for the home railway and computer reports 1, 2, 3 received from other railways, for B.G., M.G. and N.G. respectively. Reports 1, 2 and 3 should reach the other zonal railways by the end of the following month.

2.1. Separate statements are required to be submitted for monthly and cumulative data.

2.2. Punched cards are to be sent for the monthly data only except for the months of June, September and December for which punched cards for cumulative data are also to be furnished.

3. The compilation is on an apportioned basis, the source document being the copy of the invoice sent to the Traffic Accounts Branch of each railway, from the stations booking the traffic. While computer reports 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are compiled on the basis of detailed commodities included in the commodity code list, for the purposes of Statement 7-C, they are to be summarised into major commodity groups shown in Annexure 'A'. The concordance between the detailed and major commodity groups is also given in Annexure 'A'.

4. The statement contains details of revenue and non-revenue traffic. Wherever non-revenue traffic like RMC has not been computerised, the data has to be compiled manually.

5. The coverage of information in respect of major commodities/commodity groups is as under :—

(*i*) **Number of tonnes originating**—is to include tonnes of all traffic originating on each gauge, whether it terminates on the gauge itself or on some other gauge of the home line, or on other railways.

(*ii*) **Number of tonnes transhipped**—is to include the tonnage received on each gauge from different gauge whether terminating on or crossing the gauge for which figures are reported.

(*iii*) **Number of tonnes terminating**—is to include tonnes of all traffic terminating on the gauge whether it originated on the home line or on other railways.

(*iv*) **Number of tonnes of cross traffic**—is to include tonne of all goods traffic which neither originates nor terminates on the home line, but passes over it. Traffic originating on a different gauge of the home line to that for which the return is being prepared is to be treated as traffic from another railway.

(*v*) **ढोये गये टनों की कुल संख्या**—इसमें स्वक्षेत्रीय रलवे के प्रत्येक आमान पर प्रारम्भ होने वाले यातायात की टन संख्या शामिल होगी । साथ ही, उस आमान पर अन्य रेलों से अथवा स्वक्षेत्रीय लाइन के भिन्न आमान से प्राप्त टन संख्या भी शामिल की जायेगी और उस आमान को पार करने वाला टन-भार भी ।

टिप्पणी —फेरी सेवा द्वारा स्थानीय रूप से ढोये गये टनों की संख्या अर्थात् जिसकी ढुलाई रेल द्वारा बिल्कुल न हुई हो, शामिल नहीं की जायेगी, लेकिन जिसकी ढुलाई फेरी और रेल दोनों द्वारा हुई हो, शामिल की जायेगी ।

(*vi*) **निवल टन किलोमीटर**—इसमें माल गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों (माल अंश) में ढोये गये माल के निवल या माल टन किलोमीटर दिये जाते हैं और विभागीय गाड़ियों में ढोये गये माल के निवल टन किलोमीटर भी इसमें शामिल होते हैं ।

टिप्पणी—परेषण द्वारा जो दूरी फेरी या स्टीम बोट सेवा से तै की जायेगी उसके माल टन किलोमीटर नहीं गिने जायेंगे ।

(विवरण 3-क की मद 1.01 के नीचे की टिप्पणी भी देखें) ।

(*vii*) **ढोये गये राजस्व-अर्जक माल से अर्जन**—इसमें आमान के वे अर्जन दिखाये जायेंगे जो एब्सट्रैक्ट वाई-माल से अर्जन के मुख्य शीर्ष 100 से 500 तक के अन्तर्गत दर्ज किये गये हों । फेरी या स्टीम बोट से होने वाले अर्जन भी शामिल किये जायेंगे ।

(*viii*) **रेलवे पर ढोये गये टन**—इसमें सभी आमानों को एक ही रेल प्रणाली मानकर, रेलवे पर ढोये गये टनों के आंकड़े दिये जाने चाहिए और केवल बड़ी लाइन से सम्बन्धित विवरणों में ही विस्तृत ब्यौरा दिया जाय ।

6. इस विवरण में प्रदर्शित प्रधान पण्य समूह निम्नलिखित 'नौ' व्यापक वर्गों के अन्तर्गत आते हैं :—

(1) कृषि-उत्पाद

(2) पशु और पशु-उत्पाद

(3) खान-उत्पाद

(4) खनिज तेल

(5) वन्य उत्पाद

(6) विनिर्मित वस्तुएं

(7) विविध राजस्व यातायात

(8) रेल का कोयला और डीजल तेल (गैर-राजस्व)

(9) रेलों के लिए सामान्य भंडार और सामग्री (गैर-राजस्व) ।

7. इस विवरण में दिये जाने वाले प्रारंभिक टनों का मिलान, प्रधान पण्य समूहों और कुल के सम्बन्ध में राजस्व यातायात और गैर-राजस्व यातायात के विवरण 7-क और 7-ख से कर लेना चाहिए । यदि कोई अन्तर पाया जाये तो उसके बारे में उपयुक्त स्पष्टीकरण दे देना चाहिए ।

8. भारतीय सरकारी रेलों पर प्रत्येक पण्य के यातायात की गमन-दूरी का संकलन करने की दृष्टि से गैर-सरकारी रेलों और पाकिस्तान एवं बंगलादेश जैसी विदेशी रेलों से प्राप्त होने वाले और प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर समाप्त होने वाले प्रत्येक पण्य के यातायात की टन संख्या भी बोर्ड को हर महीने विवरण 7–ग के अनुबन्ध के रूप में भेजी जानी चाहिए ।

(*v*) **Total number of tonnes carried**—is to include tonnes originating on each gauge of the home line, as well as the number of tonnes received on the gauge from other railways, or from different gauge of the home line and also the tonnage of traffic crossing the gauge.

NOTE.—The number of tonnes carried locally over the ferry service i.e., not by rail at all, are to be excluded but those carried both on ferry and railway are to be included.

(*vi*) **Net tonne kilometres**—represent the net or freight tonne kilometres of freight carried in goods and mixed trains (goods proportion), including net tonne kilometres of freight carried in departmental trains.

NOTE.—No freight tonne kilometres are to be calculated for the distance travelled by consignment over ferry or steam-boat service.

(See also note under item 1.01 of St. 3-A.).

(*vii*) **Earnings from revenue earning goods carried**—are to show the earnings, for the gauge, booked under main heads 100 to 500 of Abstract Y-Goods Earnings. Ferry or steam-boat earnings are to be included.

(*viii*) **Tonnes carried on the system.**—This should give the figures of tonnes carried on the railway treating all the gauges as a single system and the details are to be given only in statements for broad gauge.

6. The major commodity groups exhibited in this statement fall under the following nine broad categories :—

(1) Products of agriculture.

(2) Animals and products of animals.

(3) Products of mines.

(4) Mineral oils.

(5) Products of forests.

(6) Manufactures.

(7) Miscellaneous revenue traffic.

(8) Railway coal and diesel oil (non-revenue).

(9) General stores and materials for railways (non-reenue).

7. Tonnes originating as reported in this statement should be tallied with Statements 7-A and 7-B for revenue traffic in respect of major commodity groups as well as the total. In case of any variation the same should be suitably explained.

8. With a view to compiling the lead of traffic on the Indian Government Railways in respect of each commodity, the tonnage of traffic received from Non-Government railways and foreign railways like Pakistan and Bangladesh railways and terminating on each zonal railway in respect of each commodity should also be reported to the Board every month as an Annexure to St. 7-C.

9. प्रत्येक आमान के लिए मासिक विवरण 7-ग के साथ (इस विवरण में महीने के आंकड़े और उस महीने तक के संचयी आंकड़े दिये जायेंगे) निम्नलिखित कार्डों के सैट भी बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने चाहिए ।

9. Along with the monthly Statement 7-C for each gauge (statements showing figures for the month and cumulatives upto the month), the following sets of cards should be sent to the Board's office.

प्रत्येक आमान के लिए महीने के 'समरी पंच विवरण 7–ग कार्ड', इनमें नीचे दिये गये कार्ड डिजाइन के अनुसार उप-समूहों और सामूहिक जोड़ों के कार्ड भी शामिल रहेंगे :—

विवरण	कालम संख्या	फील्ड
1 रेलवे ..	1	1
2 महीना ..	2	2–3
3 आमान ..	1	4
4 मुख्य पण्य संख्या ..	4	5–8
5 भाड़ा ..	10	9–18
6 टन किलोमीटर ..	11	19–29
7 प्रारंभिक टन (यूनिट में)	9	30–38
8 यानान्तरित टन (यूनिट में)	8	39–46
9 समापक टन (यूनिट में)	9	47–55
10 सकल यातायात की टन संख्या (यूनिट में) ..	8	56–63
11 आमान पर ढोयी गयी टन सं० (यूनिट में) ..	8	64–71
12 रेलवे पर ढोयी गयी टन-संख्या ..	9	72–80

(मासिक के लिए 'मा' और संचयी के लिए 'सं' कार्ड में सबसे ऊपर पंच किया जायगा)

Summary Punch Statement 7-C cards for the month and for each gauge should also include cards for sub-groups and group totals according to the card design given below :—

Description	*No. of columns*	*Field*
1 Railway ..	1	1
2 Month ..	2	2–3
3 Gauge ..	1	4
4 Main commodity number ..	4	5–8
5 Freight ..	10	9–18
6 Tonne kilometres ..	11	19–29
7 Tonnes originating (in units) ..	9	30–38
8 Tonnes transhipped (in units) ..	8	39–46
9 Tonnes terminating (in units) ..	9	47–55
10 Tonnes of cross traffic(in units)	8	56–63
11 Tonnes crriaed on gauge (inunits) ..	8	64–71
12 Tonnes carried on the system ..	9	72–80

('M' to be punched for monthly and 'C' for cumulative on the top of the card).

10. रेलों को चाहिए कि रेलवे बोर्ड को कार्ड भेजने से पहले सम्पादन सम्बन्धी समुचित जांच-पड़ताल कर लें । रेलवे, आमान, पण्य आदि के कूटों की वैधता की जांच कर ली जाये । इस बात की रोक-थाम के लिए कि कार्ड दोहरे न बन जायें या छूट न जायें, आवश्यकतानुसार नमूना-जांच कर ली जानी चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि तालिका बद्ध किया गया डेटा और कार्डों पर पंच किया गया डेटा एक है ।

10. Proper edit checks have to be exercised by the railways before despatching the cards to the Railway Board. The validity of the codes of the railway, gauge, commodity etc., has to be checked. To guard against duplication/omission of the cards, test checks may also be conducted as necessary to ensure that the data contained in the tabulation and punched on the cards is identical.

11. यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अतिरिक्त पण्यों, जिनको कि अपेक्षित पण्य कूट संख्या दे दी गयी है, के लिए अलग-अलग रेलवे पर संकलित किये गये आंकड़े मासिक विवरण 7-ग की संबंधित मुख्य पण्य संख्याओं में सही-सही समूहबद्ध कर लिये गये हैं और तदनुरूप समरी कार्डों में प्रतिबिम्बित हैं ।

11. It is necessary to ensure that the statistics compiled on individual railways for additional commodities for which commodity code numbers have been extended as required are correctly grouped in the respective Main Commodity Nos. of the monthly Statement 7-C and reflected in the corresponding Summary cards.

अनुबंध 'क'

मुख्य पण्यों की सूची जिनकी सांख्यिकी रिपोर्ट रेलों द्वारा विवरण 7–ग में भेजी जानी चाहिए

क–राजस्व-अर्जक यातायात

मुख्य पण्य सं०	1. कृषि उत्पाद—		पण्य कूट सं०
1.01	धान	..	011
1.02	चावल (बिना भूसी का)	..	021,023
1.03	चावल का आटा	..	022
1.04	चना, जिसमें चने के उत्पाद शामिल हैं, लेकिन बेसन शामिल नहीं है	..	031
1.05	चने और चने के उत्पादों से भिन्न दालें		032
1.06	बेसन	..	041
1.07	गेहूं	..	051
1.08	गेहूं का आटा	..	061 और 062
1.09	ज्वार और बाजरा, जिसमें उनका आटा भी शामिल है	..	071–074
1.10	अन्य अनाज	..	081–087
1.11	कुल खाद्यान्न (1.01 से 1.10 तक)		
1.12	मूंगफली	..	091 और 092
1.13	मूंगफली से भिन्न तिलहन	..	100–107
1.14	कुल तिलहन (1.12 से 1.13 तक)		
1.15	कपास (कच्ची)-दबी हुई	..	111 और 112
1.16	कपास (कच्ची)-बिना दबी	..	120–126
1.17	पटसन (कच्ची)-दबी हुई	..	131–132
1.18	पटसन (कच्ची)-बिना दबी, जिसमें रद्दी और कतरने शामिल हैं	..	140–141
1.19	ताजे फल और सब्जियां	..	151–158
1.20	गन्ना	..	160
1.21	चारा–खली से भिन्न	..	171–175
1.22	चारा-खली	..	181–188
1.23	तम्बाकू, स्वदेशी, अनिर्मित	..	191
1.00	**कुल मद 1–कृषि उत्पाद**		
	2. पशु और पशु उत्पाद		
2.01	पशुधन	..	200–209
2.02	खालें और चमड़े	..	211–214
2.03	हड्डियां	..	220–221
2.00	**कुल मद 2–पशु उत्पाद**		
	3. खान उत्पाद		
	जनता और गैर-सरकारी रेलों के लिए कोयला, कोक और पेटेंट ईंधन—		
	(क) कोयला खानों से बुक किया हुआ–		
3.01	इस्पात कारखानों के लिए	..	231–237
3.02	धुलाई कारखानों के लिए	..	241
3.03	ताप बिजली घरों के लिए	..	252
3.04	सीमेंट कारखानों के लिए	..	253
3.05	अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए	..	250, 251 और 254–259
3.06	कुल कोयला जो कोयला खानों से बुक हुआ (मद 3.01 से 3.05)		

ANNEXURE 'A'

List of Main Commodities for which statistics should be reported by Railways in Monthly Statement No. 7-C.

A–Revenue Earning Traffic

Main commodity No.	1. *Products of Agriculture.*		Commodity code No.
1.01	Rice in husk	..	011
1.02	Rice not in husk	..	021, 023
1.03	Rice flour	..	022
1.04	Gram including gram products except gram flour	..	031
1.05	Pulses other than gram and gram products.	..	032
1.06	Gram flour	..	041
1.07	Wheat	..	051
1.08	Wheat flour	..	061 & 062
1.09	Jawar and bajra including flour.		071–074
1.10	Other grains	...	081–087
1.11	*Total foodgrains, (Items* 1.01 *to* 1.10).		
1.12	Groundnuts	..	091 & 092
1.13	Oilseeds other than groundnuts.		100–107
1.14	*Total oilseeds (Items* 1.12 *to* 1.13).		
1.15	Cotton raw—pressed	..	111 & 112
1.16	Cotton raw-unpressed	..	120–126
1.17	Jute raw-pressed	..	131–132
1.18	Jute raw–unpressed including waste and cuttings	..	140–141
1.19	Fruits and vegetables fresh	..	151–158
1.20	Sugar cane	..	160
1.21	Fodder-other than oil cakes	..	171–175
1.22	Fodder-oil cakes	..	181–188
1.23	Tabacco country unmanufactured	..	191
1.00	**Total item 1-Products of agriculture.**		
	2. *Animals and products of animals.*		
2.01	Live stock	..	200–209
2.02	Hides and skins	..	211–214
2.03	Bones	..	220–221
2.00	**Total item 2-Products of animals.**		
	3. *Products of Mines.*		
	Coal, coke & patent fuel for public and Non-Government Railways		
	(*a*) *Booked from collieries—*		
3.01	For steel plants	..	231–237
3.02	For washeries	..	241
3.03	For thermal power houses	..	252
3.04	For cement factories	..	253
3.05	For other users	..	250, 251 & 254–259
3.06	*Total coal booked from collieries (Items* 3.01 *to* 3.05)		

अनुबन्ध 'क'—(जारी)

मुख्य पण्य सं०		पण्य कूट सं०
	(ख) अन्य स्थानों से बुक हुआ—	
3.07	धुलाई कारखानों से इस्पात कारखानों के लिए ..	261–267
3.08	अन्य स्थानों—(कोयला खानों और धुलाई कारखानों से भिन्न स्थानों) से इस्पात कारखानों के लिए ..	271–277
3.09	ताप बिजली घरों के लिए ..	282
3.10	सीमेंट कारखानों के लिए ..	283
3.11	अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए ..	281, 284–से 289 और 291
3.12	कुल कोयला जो अन्य स्थानों से बुक हुआ (मद 3.07 से 3.11 तक)	
3.13	कुल कोयला (3.06 और 3.12)	
	संगमरमर और पत्थर—	
3.14	(*i*) संगमरमर ..	301–307
	(*ii*) चूना-पत्थर और डोलोमाइट—	
3.15	इस्पात कारखानों के लिए बुक किया गया चूना- पत्थर ..	311–317
3.16	इस्पात कारखानों के लिए बुक किया गया डोलोमाइट ..	321–327
3.17	अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बुक किया गया ..	331–335
3.18	कुल चूना पत्थर और डोलोमाइट (मद 3.15 से 3.17 तक)	
3.19	(*iii*) जिप्सम ..	341–343
3.20	(*iv*) अन्य पत्थर ..	351–356
	धातु अयस्क	
	(*i*) मैंगनीज अयस्क—	
3.21	निर्यात के लिए बुक हुआ ..	361
3.22	इस्पात कारखानों के लिए बुक हुआ ..	371–377
3.23	अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बुक हुआ	381
3.24	कुल मैंगनीज-अयस्क (मद 3.21 से 3.23 तक)	
	(*ii*) लौह अयस्क—	
3.25	निर्यात के लिए बुक हुआ ..	391
3.26	इस्पात कारखानों के लिए बुक हुआ ..	401–407
3.27	अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बुक हुआ	411
3.28	कुल लौह अयस्क (मद 3.25 से 3.27 तक)	
3.29	(*iii*) अन्य अयस्क ..	412–414 और 421
3.30	अभ्रक ..	431
3.31	बालू ..	441
3.00	कुल मद 3—खान उत्पाद	

ANNEXURE 'A'—(*Contd.*)

Main commodity No.		*Commodity code No.*
	(*b*) *Booked from other points*—	
3.07	For steel plants from washeries.	261–267
3.08	For steel plants from other points (points other than collieries and washeries).	271–277
3.09	For thermal power houses ..	282
3.10	For cement factories ..	283
3.11	For other users ..	281, 284–289 & 291
3.12	*Total coal booked from other points* (*Items* 3.07 *to* 3.11)	
3.13	Total coal (Items 3.06 and 3.12).	
	Marble and Stones—	
3.14	(*i*) Marble ..	301–307
	(*ii*) *Limestone and dolomite*—	
3.15	Limestone booked for steel plants	311–317
3.16	Dolomite booked for steel plants	321–327
3.17	Limestone and dolomite booked for other users. ..	331–335
3.18	*Total limestone and dolomite* (*Items* 3.15 *to* 3.17)	
3.19	(*iii*) Gypsum ..	341–343
3.20	(*iv*) Other stones ..	351–356
	Metallic Ores.	
	(*i*) *Manganese ore*—	
3.21	Booked for export ..	361
3.22	Booked for steel plants ..	371–377
3.23	Booked for other users ..	381
3.24	*Total manganese ores* (*Items* 3.21 *to* 3.23)	
	(*ii*) *Iron ore*—	
3.25	Booked for export ..	391
3.26	Booked for steel plants ..	401–407
3.27	Booked for other users ..	411
3.28	*Total iron ore* (*Items* 3.25 *to* 3.27).	
3.29	(*iii*) *Other ores* ..	412–414 & 421
3.30	Mica ..	431
3.31	Sand ..	441
3.00	**Total Item 3-Products of mines.**	

अनुबंध 'क'—(जारी)

मुख्य पण्य सं०		पण्य कूट सं०
	4. खनिज तेल—	
	(i) डीजल तेल—	
4.01	थोक में	.. 451 और 452
4.02	टीन के डिब्बों में	.. 453
	(ii) मिट्टी का तेल—	
4.03	थोक में	.. 454 और 455
4.04	टीन के डिब्बों, ड्रमों आदि में	.. 456
	(iii) पेट्रोल—	
4.05	थोक में	.. 457 और 458
4.06	टीन के डिब्बों में	.. 459
	(iv) अन्य ईंधन तेल (इसमें द्रव ईंधन शामिल है)—	
4.07	थोक में	.. 460 और 461
4.08	टीन के डिब्बों में	.. 462
	(v) कच्चा तेल—	
4.09	थोक में	.. 463 और 464
4.10	टीन के डिब्बों में	.. 465
	(vi) चिकनाई का तेल और विशेष उत्पाद—	
4.11	थोक में	.. 466 और 467
4.12	टीन के डिब्बों में	.. 468
4.13	द्रव पेट्रोल गैस जिसमें बूटेन और प्रोपेन शामिल हैं	485 और 486
4.14	कोलतार और बिटूमिन	.. 491, 492 और 494
4.15	पेट्रोल कोक	.. 493
4.16	खनिज तारपीन	.. 495 और 496
	(vii) अन्य खनिज तेल—	
4.17	खतरनाक	.. 469–471
4.18	गैर-खतरनाक	.. 472–474
4.19	नेप्था खनिज	.. 504
4.20	नेप्था साल्वेंट	.. 505 और 506
4.00	कुल मद 4—खनिज तेल	
	5. वन्य उत्पाद	
	(i) जलाने की लकड़ी और अन्य ईंधन—	
5.01	लकड़ी का कोयला	.. 510
5.02	जलाने की लकड़ी और अन्य	.. 520
	(ii) कच्ची लकड़ी—	
5.03	बांस	.. 522 और 523
5.04	अन्य लकड़ी	.. 524 और 525

ANNEXURE 'A'—(*Contd.*)

Main commodity No.		*Commodity code No.*
	4. *Mineral oils.*	
	(i) *Diesel oil* —	
4.01	In bulk	.. 451 & 452
4.02	In tins	.. 453
	(ii) *Kerosene oil*—	
4.03	In bulk	.. 454 & 455
4.04	In tins, drums etc.	.. 456
	(iii) *Petrol*—	
4.05	In bulk	.. 457 & 458
4.06	In tins	.. 459
	(iv) *Other fuel oil (Including liquid fuel)*—	
4.07	In bulk	.. 460 & 461
4.08	In tins	.. 462
	(v) *Crude oil*—	
4.09	In bulk	.. 463 & 464
4.10	In tins	.. 465
	(vi) *Lubricating oil and special products*—	
4.11	In bulk	.. 466 & 467
4.12	In tins	.. 468
4.13	Liquid petroleum gas including butane and propane	.. 485 & 486
4.14	Coal tar and bitumen	.. 491, 492 & 494.
4.15	Petroleum coke	.. 493
4.16	Mineral turpentine	.. 495 & 496
	(vii) *Other mineral oils*—	
4.17	Dangerous	.. 469–471
4.18	Non-dangerous	.. 472–474
4.19	Naptha mineral	.. 504
4.20	Naptha solvent	.. 505 & 506
4.00	**Total Item 4-Mineral oils.**	
	5. *Products of forests.*	
	(i) *Firewood & other fuel*—	
5.01	Charcoal	.. 510
5.02	Firewood & others	.. 520
	(ii) *Wood unwrought*—	
5.03	Bamboos	.. 522 & 523
5.04	Other wood	.. 524 & 525

अनुबन्ध 'क'—(जारी)

मुख्य पण्य सं०		पण्य कूट सं०
	(iii) लाख—	
5.05	परिष्कृत ..	526
5.06	अपरिष्कृत ..	527
5.07	बीड़ी के पत्ते ..	528
5.00	कुल मद 5—वन्य उत्पाद	
	6. निर्मित वस्तुएं—	
6.01	चीनी, जिसमें मिश्री और ग्लूकोज़ शामिल है ..	537–539
6.02	खाण्डसारी शुगर ..	540
6.03	गुड़ जागरी और गुड़ शक्कर ..	541
6.04	शीरा ..	542–543
6.05	नमक ..	544–545
6.06	चाय ..	546
6.07	साबुन ..	547
6.08	दियासलाई ..	548–549
6.09	तम्बाकू—निर्मित ..	550–552
	वनस्पति और अन्य खाद्य तेल—	
6.10	हाइड्रोजनीकृत तेल ..	554
	गैर-हाइड्रोजनीकृत तेल—	
6.11	मूंगफली का तेल ..	533, 555 और 556
6.12	सरसों का तेल ..	557–558
6.13	गोले (नारियल) का तेल ..	559
6.14	अन्य खाद्य तेल ..	560–569
6.15	कुल खाद्य तेल (मद 6.10 से 6.14)	
6.16	सूती माल, निर्मित और कपड़े ..	570–579
6.17	पटसन, निर्मित (टाट और हेशियन) ..	586–588
6.18	अन्य निर्मित पटसन ..	589
6.19	चमड़ा और निर्मित चमड़ा ..	591–593
6.20	रबड़, निर्मित ..	600–602
6.21	ऊनी कपड़े ..	603–604
6.22	नकली रेशम के कपड़े ..	605–606
6.23	रेशम के कपड़े ..	607
6.24	नारियल की जटा के उत्पाद ..	608–609
6.25	सीमेंट ..	616–619
6.26	सीमेंट, निर्मित ..	620–622
6.27	ईंटें और टाइल ..	623–628
6.28	चीनी मिट्टी के बर्तन ..	629
	लोहा और इस्पात	
	(क) इस्पात कारखानों से बुक हुए—	
6.29	डिवीजन 'ए' ..	631–637
6.30	डिवीजन 'बी' ..	641–647
6.31	डिवीजन 'सी' ..	651–657
6.32	ढलवां लोहा ..	661–667
6.33	अन्य लोहा और इस्पात गढ़ा हुआ ...	671–677
6.34	कुल लोहा और इस्पात जो इस्पात कारखानों से बुक हुआ (मद 6.29 से 6.33 तक)	

ANNEXURE 'A'—(*Contd.*)

Main commodity No.		*Commodity code No.*
	(iii) *Lac*—	
5.05	Refined ..	526
5.06	Unrefined ..	527
5.07	Biddi leaves ..	528
5.00	**Total Item 5—Products of forests.**	
	6. *Manufactures.*	
6.01	Sugar including sugar candy and glucose. ..	537–539
6.02	Khandsari sugar ..	540
6.03	Gur jagree and gur shakkar ..	541
6.04	Molasses ..	542–543
6.05	Salt ..	544–545
6.06	Tea ..	546
6.07	Soap ..	547
6.08	Matches ..	548–549
6.09	Tobacco manufactured ..	550–552
	Vegetable & other edible oils—	
6.10	Hydrogenated oils ..	554
	Non-hydrogenated oils—	
6.11	Groundnut oil ..	553, 555 & 556.
6.12	Mustard oil ..	557–558
6.13	Coconut oil ..	559
6.14	Other edible oils ..	560–569
6.15	*Total edible oils* (*Items* 6.10 to 6.14).	
6.16	Cotton manufactured and other piece goods ..	570–579
6.17	Jute manufactured (gunnies and hessian) ..	586–588
6.18	Other manufactured jute ..	589
6.19	Leather & leather manufactured.	591–593
6.20	Rubber manufactured ..	600–602
6.21	Woollen piece goods ..	603–604
6.22	Artificial silk piece goods ..	605–606
6.23	Silk piece goods ..	607
6.24	Coir products ..	608–609
6.25	Cement ..	616–619
6.26	Cement manufactured ..	620–622
6.27	Bricks and tiles ..	623–628
6.28	China ware (potteries) ..	629
	Iron and Steel.	
	(*a*) *Booked from Steel plants*—	
6.29	Division 'A' ..	631–637
6.30	Division 'B' ..	641–647
6.31	Division 'C' ..	651–657
6.32	Pig iron ..	661–667
6.33	Other iron & steel wrought. ..	671–677
6.34	*Total iron and steel booked from steel plants* (*Items* 6.29 *to* 6.33).	

अनुबन्ध 'क'—(जारी)

मुख्य पण्य सं०		पण्य कूट सं०
	(ख) अन्य स्थानों से बुक हुआ—	
6.35	डिवीजन 'ए' ..	681
6 36	डिवीजन 'बी' ..	682
6.37	डिवीजन 'सी' ..	683
6.38	ढलवां लोहा ..	684
6.39	अन्य लोहा और इस्पात ..	680, 685-691
6.40	कुल लोहा और इस्पात जो अन्य स्थानों से बुक हुआ (मद 6.35 से 6.39 तक)	
6.41	बिजली का सामान ..	692–698
6.42	कांच का सामान ..	705–708
	अ-लोह धातुएं—	
6.43	टीन ..	711–713
6.44	पीतल ..	710, 714-716
6.45	कांसा ..	717–719
6.46	अल्यूमीनियम ..	731–735
6.47	अन्य ..	720–729
6.48	कुल अ-लोह धातुएं (मद 6.43 से 6.47 तक)	
6.49	कागज ..	740–749
6.50	रोगन और वार्निश ..	750–754
6.51	रंग और रंजक ..	755–758
6.52	आतिशबाजी ..	759
6.53	कास्टिक सोडा जिसमें कास्टिक सोडा द्रव शामिल है	760
6.54	सोडा क्षार ..	761
6.55	दवाएं ..	762
6.56	अल्कोहल ..	763–766
6.57	तेजाब ..	767–779
6.00	कुल मद 6—निर्मित वस्तुएं	
	7. विविध	
7.01	रासायनिक खादें ..	806–809
7.02	आर्गेनिक खादें ..	810–819
7.03	रसद ..	820–839
7.04	संपीडित गैसें ..	841–844
7.05	ऊन, कच्ची और रद्दी ..	850–852
7.06	रेशम, कच्चा और रद्दी ..	853–854
7.07	सन और रेशे ..	855–857
7.08	रबड़, अपरिष्कृत, कच्ची और छीजन	858–859
7.09	सूखी घास (सबाई घास शामिल है) ..	860
7.10	हर्र ..	861
7.11	महुवा के फूल ..	862
7.12	अफीम और अन्य नशीली औषधियां ..	863–865
7.13	चूना ..	866
7.14	चीनी मिट्टी ..	868
7.15	इमारती लकड़ी, गढ़ी हुई ..	869
7.16	सिनेमा फिल्में ..	870–871
7.17	कंटेनर सेवा ..	901
7.18	माल अग्रेषक सेवा ..	902
7.19	अन्य पण्य ..	840 और अन्य सभी राजस्व-अर्जक पण्य।
	कुल मद 7—विविध	
	8. कुल राजस्व-अर्जक पण्य	

ANNEXURE 'A'—(*Contd.*)

Main commodity No.		*Commodity code No.*
	(*b*) *Booked from other points*—	
6.35	Division 'A' ..	681
6.36	Division 'B' ..	682
6.37	Division 'C' ..	683
6.38	Pig iron ..	684
6.39	Other iron and steel ..	680,685 691
6.40	*Total iron & steel booked from other points* (*Items* 6.35 *to* 6.39).	
6.41	Electrical goods ..	692–698
6.42	Glassware ..	705–708
	Non-ferrous metals—	
6.43	Tin ..	711–713
6.44	Brass ..	710, 714 716.
6.45	Bell metal ..	717–719
6.46	Aluminium ..	731–735
6.47	Others ..	720–729
6.48	*Total non-ferrous metals* (*Items* 6.43 *to* 6.47).	
6.49	Paper ..	740–749
6.50	Paints and varnishes ..	750–754
6.51	Colours and dyes ..	755–758
6.52	Fire works ..	759
6.53	Caustic soda including caustic soda liquor ..	760
6.54	Soda ash ..	761
6.55	Medicines ..	762
6.56	Alcohol ..	763–766
6.57	Acids ..	767–779
6.00	**Total Item 6-Manufactures.**	
	7. *Miscellaneous.*	
7.01	Chemical manures ..	806–809
7.02	Organic manures ..	810–819
7.03	Provision ..	820–839
7.04	Compressed gases ..	841–844
7.05	Wool raw and waste ..	850–852
7.06	Silk raw and waste ..	853–854
7.07	Hemp and fibres ..	855–857
7.08	Rubber crude, raw and scrap ..	858–859
7.09	Dry grass (including saboi grass)	860
7.10	Myrobalan ..	861
7.11	Mohwa flowers ..	862
7.12	Opium and other narcotic drugs.	863–865
7.13	Lime ..	866
7.14	China clay ..	868
7.15	Timber wrought ..	869
7.16	Cinematograph films ..	870–871
7.17	Container service ..	901
7.18	Freight forwarding service ..	902
7.19	Other commodities ..	840 & all other revenue earning commodities.
	Total Item 7—Miscellaneous.	
	8. *Total revenue earning commodities.*	

विवरण 7–ग
Statement 7–C

रेलवे बोर्ड
RAILWAY BOARD

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
B. G./M. G./N. G.

रेलवे
Railway

(रिपोर्ट भेजने वाली रेलवे का पूरा नाम)
(Full name of reporting Railway)

पण्य सांख्यिकी
COMMODITY STATISTICS

मास19.....के आंकड़े
For the month of.....19....

.....19...के अन्त तक के संचयी आंकड़े
Cumulative to end of.....19....

मुख्य पण्य संख्या और हुलिया Main commodity number and description.	प्रारम्भिक टन Tonnes Originating		स्वक्षेत्रीय लाइन अथवा इतर रेलों से संयुक्त आमान-परिवर्तन जंक्शनों पर प्राप्त टन Tonnes received at break-of-gauge junctions with home line or foreign railways		समापक टन Tonnes terminating		क्रास यातायात Tonnes of cross traffic		ढोये गये टन Tonnes carried		निवल टन किलो-मीटर Net tonne kms.		अर्जन रु० Earning Rs.		रेलवे पर ढोये गये टन* Tonnes carried on the railway system*	
	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अनुबन्ध 'क' में सूचीबद्ध मुख्य पण्यों के अनुसार As per main commodities listed in Annexure 'A'																

*बड़ी लाइन के विवरण में दिये जायेंगे।
*To be given in the Statement for broad gauge.

अनुबन्ध 'क'—(समाप्त)

मुख्य पण्य सं०		पण्य कूट सं०
	ख—गैर-राजस्व यातायात	
	9. रेल का कोयला और डीजल तेल	
	(*i*) रेल का कोयला	
	(क) कोयला खानों से—	
9.01	स्वक्षेत्रीय लाइन के लिए ..	960
9.02	अन्य सरकारी रेलों और निर्माण-कर्ता यूनिटों के लिए ..	961
	(ख) बन्दरगाहों से समुद्री रास्ते संचलित कोयला—	
9.03	स्वक्षेत्रीय लाइन के लिए ..	962
9.04	अन्य के लिए ..	963
	(ग) अन्य स्थानों से—	
9.05	स्वक्षेत्रीय लाइन के लिए ..	964
9.06	अन्य के लिए ..	965
9.07	कुल रेल का कोयला (मद 9.01 से 9.06 तक)	
	(*ii*) रेलों के लिए डीजल तेल	
9.08	रेल कार्यों के लिए कम्पनियों द्वारा थोक में बुक किया गया डीज़ल तेल ..	966
9.09	रेल कार्यों के लिए कम्पनियों द्वारा टीन के डिब्बों में बुक किया गया डीजल तेल ..	967
9.10	**रेल कार्यों के लिए कुल डीजल तेल (मद 9.08 से 9.09)।**	
	10 रेलों के लिए सामान्य भण्डार और सामाग्री।	
	(क) विभागीय मालडिब्बों और गिट्टी गाड़ियों से भिन्न डिब्बों/गाड़ियों में ढोया गया—	
10.01	स्वक्षेत्रीय लाइन के लिए ..	970–978
10.02	अन्य सरकारी रेलों आदि के लिए ..	980–988
	(ख) विभागीय मालडिब्बों और गिट्टी गाड़ियों द्वारा ढोया गया—	
10.03	स्वक्षेत्रीय लाइन के लिए ..	990
10.04	अन्य सरकारी रेलों आदि के लिए ..	991
10.05	भाड़ा-मुक्त यातायात जैसे कि मुफ्त ढोया गया 'किट', शरणार्थी सहायता वस्तुएं, फिर से बुक किये गये परेषण आदि ..	997
11.00	**कुल गैर-राजस्व यातायात**	
12.00	**कुल राजस्व-अर्जक और गैर-राजस्व यातायात**	

ANNEXURE 'A'—(*Concld.*)

Main commodity No.		*Commodity code No.*
	B—Non-Revenue Traffic	
	9. *Railway coal and diesel oil.*	
	(*i*) Railway coal.	
	(*a*) *From collieries—*	
9.01	For home line ..	960
9.02	For other Government railways & manufacturing units ..	961
	(*b*) *Sea-borne coal moved from ports—*	
9.03	For home line ..	962
9.04	For others ..	963
	(*c*) *From other points—*	
9.05	For home line ..	964
9.06	others. ..	965
9.07	*Total railway coal* (*Items* 9.01 *to* 9.06)	
	(*ii*) *Diesel oil for railways.*	
9.08	Diesel oil booked by companies for railway purposes in bulk ..	966
9.09	Diesel oil booked by companies for railway purposes in tins ..	967
9.10	*Total diesel oil for railway purposes* (*Items* 9.08 *to* 9.09).	
	10. *General stores and materials for railways.*	
	(*a*) *Carried in other than departmental wagons & ballast trains—*	
10.01	For home line ..	970–978
10.02	For other Government railways etc. ..	980–988
	(*b*) *Carried by departmental wagons and ballast trains —*	
10.03	For home line ..	990
10.04	For other Government railways etc. ..	991
10.05	Freight free traffic such as kit carried free, refugee relief articles, consignments rebooked etc. ..	997
	11. *Total non-revenue traffic*	
12.00	**Total revenue earning and non-revenue traffic.**	